

रंगो से सुंदर शहर की कल्पना को केनवास पर उकेरा

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर की नारी शक्ति ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लेकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया।

रत्नाम 21 जनवरी । स्वच्छ और साफ सुथरे शहर की कल्पना आज एक अहम मुद्दा है और स्वस्थ नगर के लिये आवश्यक सोच भी है। ये भी सच है कि साफ सुंदर जगह पर रहना हर कोई पसंद करता है, फिरभी सड़कों पर ये कचरे का ढेर, सड़कों पर बहता नालियों का पानी, सड़कों और नालों में यहाँ-वहाँ बिखरे कचरे यहीं बन्या कर रहे हैं कि स्वच्छता के प्रति हम अब भी उदासीनता है। ऐसे में जरूरी है कि सभी शहर के कोने-कोने को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करे और इसके लिए औरों को भी प्रेरित करे।

गुरुवार को शहर के शास्त्री नगर स्थित श्रीगुरुतेग बहादुर पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल में शहर की स्वच्छता में मेरी भूमिका विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री गुरुनाम सिंह, नगर निगम उपायुक्त श्री विकास सोंलकी और स्वास्थ्य प्रभारी एपीसिंह की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर 100 से अधिक छात्र-छात्राओं ने रंगों के माध्यम से सुंदर शहर की कल्पना को केनवास पर उतारा है।

स्कूली बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से घर और शहर की सड़कों से निकले कचरे के निपटान, इसका उपयोग खाद के रूप में करने आदि व्यवस्था से जुड़े चित्र भी बनाए। इस मौके पर स्कूल प्राचार्य अवनीश पाण्डे, प्रधान अध्यापिका सरला माहेश्वरी सहित अतिथियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम, दृतीय और तृतीय स्थान पर रहे प्रतियोगियों को शील्ड व प्रमाणपत्र भेज किए वही अन्य सभी प्रतियोगियों को स्वच्छता सम्मान भेंट किए गए।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रत्नाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की ओर से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रत्नाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान गुरुवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में हमें मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

सामुदायिक संगठिकाओं को सेवा अनुबंध समाप्ति हेतु सूचना पत्र जारी

रतलाम 21 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शाखा की सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, श्रीमती रेखा राठौर, श्रीमती हेमा सिलावट, सुश्री निर्मला राय द्वारा पी. एम. स्वनिधी प्रकरणों के लक्ष्य की पूर्ति नहीं किये जाने पर सेवा अनुबंध समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया ।

इसके अलावा 20 जनवरी को आयुक्त कक्ष में आयोजित टी.एल. की बैठक में उपस्थित नहीं होने पर एक दिवस का वेतन काटने निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा संबंधित को दिये ।

जवाहर नगर में आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

रतलाम 21 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे ।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे ।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/- की राशि जमा कराई ।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4, 5 व 13 के लिये 22 से 23 जनवरी तक अम्बे माता मंदिर जवाहर नगर, वार्ड क्रमांक 4 व 5 के लिये 25 व 27 जनवरी को विनोबा नगर पानी की टंकी के पास, वार्ड क्रमांक 6 व 7 के लिये 28 जनवरी को अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 29 जनवरी को तिरुपति नगर, वार्ड क्रमांक 8 के लिये 30 जनवरी को कोमल नगर, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 01 फरवरी को मार्निंग स्टार स्कूल, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 2 से 3 फरवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 4 फरवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 5 से 6 फरवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 09 फरवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर, वार्ड क्रमांक 14, 15 व 48 के लिये 11 से 12 फरवरी तक डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर, वार्ड क्रमांक 48 के लिये 15 फरवरी को वेदव्यास कालोनी, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 16 फरवरी को कल्याण नगर, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाख्वल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं ।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें ।

गंदगी करने पर ४ व्यक्तियों पर जुर्माना

सिलेक्शन इन्टरप्राईजेस अभद्र व्यवहार करने की होगी कार्यवाही

रतलाम 21 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां—वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्र निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी करने पर मोदी किराना डालू मोदी बाजार व ललीत खेरादीवास पर 500—500, बैंगलोर मसाला डोसा, गणेश चाईनीज, श्री सांई चाईनीज, सत्यम चाईनीज, मुम्बई चाईनीज व महाकाल चाईनीज पर 100—100 रुपये का स्पॉट फाईन पीओएस मशीन के माध्यम से ऑन लाईन किया गया।

इसके अलावा माणक चौक क्षेत्र में सिलेक्शन इन्टरप्राईजेस द्वारा स्पॉट फाईन दल से अभद्र व्यवहार करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्य करने हेतु माणक चौक थाना प्रभारी को पत्र लिखा गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड क्रमांक 11 के प्रभारी राहूल बिडवान को हटाया

रतलाम 21 जनवरी । कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 11 के वार्ड प्रभारी राहूल बिडवान को वार्ड से हटाया जाकर एक दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया। राहूल बिडवान के स्थान पर विकास—ब्रजेश गिरजे को वार्ड 11 का प्रभारी नियुक्त गया।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त 91 दिनों में 127 वॉल्व व 627 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 21 जनवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 21 जनवरी तक 127 वॉल्व व 627 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 21 जनवरी गुरुवार को पटेल कालोनी शौचालय के

पास, राजेन्द्र नगर, गांधी नगर आकाश दुध डेरी के पास, अलकापुरी, भगतपुरी, रत्नपुरी मुखर्जी नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्ती के साथ इन्द्रा नगर टीआईटी बिल्डिंग के पास वॉल्व दुरस्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

स्वच्छंद विचरण करने वाले 571 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 21 जनवरी । रतलाम नगर को साफ—स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 21 जनवरी तक 565 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 21 जनवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 565 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 21 जनवरी को अलकापुरी, कस्तुरबा नगर, मुखर्जी नगर, विरियाखेड़ी व जवाहर नगर से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़ों नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एकट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एकट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा।

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 21 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण—पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण—पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक

रत्नाम 21 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक—पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक—पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक—पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रत्नाम 21 जनवरी । रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण—2021 में रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रत्नाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रत्नाम 21 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रत्नाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रत्नाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, दुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के

पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/21.01.2021/न.पा.निगम, रत्तलाम.